

## भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7—परियोजना/स्कीम का स्थान		जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग 0.628 है। वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड	
(ii) जिला	देहरादून	
(iii) वन प्रभाग	कालसी भू०सं० वन प्रभाग, कालसी	
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल वन भूमि = 0.628 है।	
(v) वन की कानून स्थिति	0.628 है। आरक्षित वन भूमि	
(vi) हरियाली का घनत्व-		
(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की गणना (संलग्न की जाय)	संलग्न है।	
सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बंध में एल.आर.एल.एफ., एफ.एल.आर.-2 मीटर पर परिणाम और एफ.एल.आर.-4 मीटर की गणना संलग्न किये जायें।		
(viii) भू-क्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षण की सम्भावना नहीं है।	
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा (आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत)	
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाध रिजर्व, हाथी कोरी डोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जायें)	नहीं।	
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं। यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं।	
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।	
8—प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम—2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	यह न्यूनतम भूमि है।	
9—क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें, क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं	

10—प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा—	—
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस—पास के वन से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्ड का आकार।	—
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस—पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	—
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	—
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय इकाई दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	—
11—उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम—7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण
12—विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 <sup>2</sup> Km
(ii) जिले का वन क्षेत्र	211691 है0
(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	21268.15 है0
(iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	7102.51 है0
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	6333.92 है0
(ख) वनेत्तर भूमि पर (सिविल)	768.59 है0
(v)—अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति क— वन भूमि पर (आरक्षित) ख— वनेत्तर भूमि पर (सिविल)	4308.09 है0 768.59 है0
13—प्रस्ताव की स्वीकृत कराने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	चूंकि उक्त पेयजल योजना विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में ग्रामवासियों के लिये पाईप लाईन बिछाई जा रही है, जो क्षेत्रवासियों के हित में। अतः प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक .....

हरताक्षर

स्थान—कालसी।

नाम



प्रभागीय वनाधिकारी  
कालसी भूमि वन प्रभाग  
कालसी

वन विभागीय कालसी  
सहसपुर उपवन विभाग  
कालसी